

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

बाल साइबर अपराध मामले अब पॉक्सो ई-बाक्स में दर्ज किये जा सकते हैं

Posted On: 23 JUN 2017 3:41PM by PIB Delhi

साइबर अपराध के शिकार बच्चे अब अपनी शिकायत राष्ट्रीय वाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के पॉक्सो ई-वाक्स में दर्ज करा सकते हैं। बच्चों के साथ साइबर अपराध में वृद्धि को देखते हुए एनसीपीसीआर ने अब पोक्सो के दायरे को बढ़ा दिया है ताकि साइबर धमकी, साइबर तरीके से पीछा करना, चित्रों की मार्फिंग, बाल अश्लील साहित्य की समस्या से निपटा जा सके। साइबर अपराध के शिकार बच्चें स्वयं या उनके मित्र, माता-पिता, संबंधी या अभिभावक आयोग की वेबसाइट <u>www.ncpcr.gov.in</u> पर उपलब्ध ई-बाक्स बटन को दबाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वे अपनी शिकायतें ईमेल pocsoebox-ncpcr@gov.in या मोबाइल नम्बर 9868235077 पर भी दर्ज करा सकते हैं।

मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलाजी के माध्यम से बाल शोषण नया रूप और चैनल का रूप ले रहा है। भारत में लगभग 134 मिलियन बच्चों के पास मोबाइल फोन है और यह संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। और इसके बढ़ने का सिलसिला इंटरनेट से अधिक है। सीखने के उद्देश्य से उपयोगी सामग्री तो मिलती है लेकिन डिजिटल साक्षरता के अभाव और ऑनलाइन सुरक्षा उपायों की अज्ञानता से बच्चों को साइबर अपराध के खतरों की ओर जाने की संभावना है।

पॉक्सो ई-बाक्स बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बच्चों के यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने का सहज और सीधा माध्यम है

एनसीपीसीआर द्वारा विकसित पॉक्सो ई-बाक्स पिछले वर्ष महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने लांच किया था।

वीके/एकेजी/सीएस-1837

(Release ID: 1493690) Visitor Counter: 21

Read this release in: English , Tamil









IN